

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) प्रेस नोट

➤ झालावाड में उप निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, दिनांक 04 सितम्बर, गुरुवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सत्यनारायण नावरिया उप निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला झालावाड व हरिओम रावत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, जिला झालावाड को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी कोटा को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवारी का प्राईवेट वाहन कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग झालावाड में जनवरी से मई 2025 तक अनुबंधित था, तत्संबंधित भुगतान का बिल स्वीकृत करने के लिये अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हरिओम रावत एवं उक्त कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार देख रहे उप निदेशक महिला एवं बाल विकास अधिकारी झालावाड सत्यनारायण नावरिया द्वारा परिवारी से रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत नहीं देने की स्थिति में परिवारी के विरुद्ध रिकवरी (पुनर्भुगतान) निकाल देने तथा भविष्य में परिवारी का वाहन विभाग में अनुबंधित नहीं करने की धमकी देकर परेशान कर दस हजार रुपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री आनन्द शर्मा के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में आज उप अधीक्षक पुलिस श्री अनिष अहमद एसीबी कोटा द्वारा ट्रेप कार्यवाही कर आरोपीगण सत्यनारायण नावरिया एवं हरिओम रावत को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

श्री आनन्द शर्मा उप महानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन में आरोपीगण से पूछताछ व कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।